

को पेश हो।
दिनांक 20/5/20

20/5/20


कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त निर्देशानुसार लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक... 15/7/20 को पेश हो।

15/7/20

पत्रावली प्रस्तुत हुई, आगे वाली पत्रावली उपस्थिति पीठासीन अधिकारी अन्याय में पधार है। पत्रावली का दिनांक 16/9/20 को पेश हो।

16/9/20 संभावना पेश हुई। वकील वाड वरुण एक प्रार्थना पत्र पेश किया व Not process भी किया गया है। अतः अगले 24 घण्टा के अंदर कार्यवाही न हो - वाहले की अतः वाड पत्र अलग-अलग वाड 188 RTI इति हरेण पत्र रखा है। किया जाता है पत्रावली के लिये लोका (नम्बर) के काम हो।

Not process
लिया है
(संज्ञक चाली)


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

